



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 18.07.25

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 183/25 धारा 82(2)/85 BNS व 3/4 दहेज एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.25 को छपरौली पर वादी श्री ऋतिक पुत्र तेजवीर निवासी ग्राम रठौडा थाना छपरौली के ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. कुन्दन (पति) पुत्र किशन कुमार 2. दीपक (देवर) पुत्र किशन कुमार 3. विशाल (देवर) पुत्र किशन



कुमार 4.01 महिला(सास) 5. किशन कुमार (ससुर) पुत्र फूल सिंह निवासीगण ग्राम सीदीपुर दादरी थाना जारचा गौतमबुद्धनगर द्वारा उसकी बहन मनीषा का दहेज के लिये उत्पीडन किया गया । दहेज की मांग से प्रताडित होने के कारण उसकी बहन ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 183/25 धारा 82(2)/85 BNS व 3/4 दहेज एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 183/25 धारा 82(2)/85 BNS व 3/4 दहेज एक्ट से सम्बन्धित 01

अभियुक्ता सहित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-किशन कुमार पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम सीदीपुर दादरी थाना जारचा गौतमबुद्धनगर।

2- 01 अभियुक्ता(सास)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री रोहित कुमार थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली जनपद बागपत।

4-है0का0 757 प्रतीश थाना छपरौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक- 18.07.2025

थाना दोघट पुलिस ने गुम हुए मोबाईल फोन को CEIR PORTAL के माध्यम से खोज कर मोबाईल के स्वामी को किया सुपुर्द।

कार्यवाही-

थाना दोघट पर आवेदक द्वारा मोबाईल के गुम होने के सम्बन्ध में दिये गये प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना दोघट पुलिस द्वारा मोबाईल फोन को CIER PORTAL के माध्यम से खोज कर उसके स्वामी को सुपुर्द किया गया।

मोबाईल स्वामि द्वारा थाना दोघट पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।



मोबाईल मालिक का विवरण-

सौरभ पुत्र रमेश नि0 ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत

खोज करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 सौम्य कृष्णात्रेय थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2-ASI(कम्प्यूटर) वीर सैन थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 18.07.2025

थाना रमाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र महक सिंह निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध तमंचा 0.315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 0.315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सन्नी कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 577 अंकुर थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-हो0गा0 583 सबदर अली थाना रमाला जनपद बागपत ।

